संख्या- 34/2017/2212/बयालिस-2017-29(बजट)/2013

प्रेषक,

मो0 इफ्तेखारूद्दीन,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

खेल अनुभाग **लखनऊ : दिनांक : 27 अक्टूबर, 2017**

विषयः- **मेजर ध्यान चन्द स्पोर्टस कालेज, सैफई इटावा को वित्तीय वर्ष- 2017-18 में बजट में प्राविधानित बजट व्यवस्था के सापेक्ष 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में द्वितीय किश्त अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- जी0- 772/सैफई स्पो0का0/2017-18, दिनांक 28.08.2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष- 2017-18 में स्पोर्टस कालेज, सैफई हेतु '' 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) '' के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 146.20 लाख (रू0 एक करोड़ छियालिस लाख बीस हजार मात्र) के सापेक्ष वर्ष- 2017-18 में माह अप्रैल से अगस्त, 2017 तक के लिए अनुमन्य रू0 60.91 लाख की स्वीकृति शासनादेश संख्या- 733/बयालिस-2017-19(बजट)/2013, दिनांक 30 मई, 2017 द्वारा निर्गत की गयी थी। स्वीकृत धनराशि का पूर्ण उपयोग होने जाने के दृष्टिगत द्वितीय छमाही के व्यय को वहन करते हुए रू0 85.29 लाख (रू0 पिचासी लाख उन्नीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है :-

(1)- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 1/2017/बी0-1-02/दस-2017-231/2017, दिनांक 02 जनवरी, 2017 एवं कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 8/2017/बी0-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03 अगस्त, 2017में दिये गये निर्देशों, सुसंगत वित्तीय नियमों एंव समय-समय पर जारी किये गये शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(2)- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यों/मदों में किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्हीं अन्य कार्यों/मदों में धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी। प्रतिबद्ध मदों पर व्यय वहन हो जाने के पश्चात ही मितव्ययी मदों पर व्यय किया जायेगा।

(3)- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय पूर्व वर्षों की देनदारियों पर नहीं किया जोयगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(4)- स्वीकृत की जा रही धनराशि का बिल निदेशक, खेल द्वारा प्रति हस्ताक्षरित करके धनराशि कोषागार से आहरित की जायेगी तथा सचिव, उ0प्र0 स्पोर्टस कालेजेज सोसाइटी, लखनऊ के माध्यम से व्यय हेतु प्रधानाचार्य, सैफई स्पोर्टस कालेज, सैफई (इटावा) के निवर्तन पर रखी जायेगी।

(5)- स्वीकृत धनराशि के व्यय करने में शासन के वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत मित्व्ययिता सम्बन्धी दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6)- स्वीकृत धनराशि को नियमानुसार आहरित किया जायेगा। स्वीकृत अनुदान पर वित्तीय नियम संग्रह खण्ड- 5 भाग- 1 के अध्याय- 16 में दिये गये अद्यावधिक नियम भी लागू होगें। इस अनुदान का उपयोगिता प्रमाण-पत्र, मदवार व्यय विवरण सहित बी0एम0-13 प्रपत्र पर शासन एवं महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद को यथा समय उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष- 2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या- 22 के लेखाशीर्ष 2204-खेलकूद तथा युवा सेवायें-104-खेलकूद-23-स्पोर्टस कालेज को अनुदान-2303-स्पोर्टस् कालेज सैफई को अनुदान-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या- ई-5-720/दस-2017, दिनांक 26 अक्टूबर, 2017 में प्राप्त सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

मो0 इफ्तेखारूद्दीन
अपर मुख्य सचिव।

<u>संख्या– 2212(1)/बयालिस-2017-तद्दिनांक :-</u>

<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-</u>

(1)- महालेखाकार (आडिट) उ0प्र0 इलाहाबाद।
(2)- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(3)- जिलाधिकारी, इटावा।
(4)- सचिव, उ0प्र0 स्पोर्टस कालेजेज सोसाइटी, लखनऊ।
(5)- प्रधानाचार्य, स्पोर्टस कालेज, सैफई (इटावा)।
(6)- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- ½
(7)- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग- 5
(8)- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर प्रति।

आज्ञा से,

(भेपेन्द्र बहादुर सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in